संख्याः 815 / V-2 / 2025–95482 / MS / 29 / 2025

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर, 2025

विषयः–**Compliance Reduction & Deregulations** हेतु भू–उपयोग परिवर्तन (**Change of Land Use-CLU**) की प्रक्रिया को सरल एवं अंकीकृत (**Digitized**) करने के लिए आवश्यक अभिलेखों की सूची स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या 1 / 51300 / NAGRANI-E-39133 / TCPD-4321 / 22 / 2025, दिनांक 27.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि **"भू–उपयोग परिवर्तन (CLU) की प्रक्रिया को सरल एवं अंकीकृत (Digitized) करने हेतु आवश्यक अभिलेखों की व्यापक सूची विकसित करना एवं ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया सक्षम करना"** विषय पर भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गयी है, जिसके क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन (CLU) आवेदन के लिए वर्तमान में आवेदकों से सात (7) अभिलेखों की वांछना के स्थान पर दो (2) अभिलेखों की वांछना हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– अतः सम्यक विचारोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन (CLU) हेतु आवेदन के लिए आवश्यक / वांछित सात (7) अभिलेखों से सम्बन्धित सूची को संशोधित करते हुये उसके स्थान पर अब मात्र दो (2) अभिलेखों की वांछना की स्वीकृति निम्न तालिकानुसार प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	वर्तमान में आवश्यक 07 अभिलेख / वाछित	संशोधन के उपरान्त आवश्यक / वाछित अभिलेख
1	**Ownership Documents (Lease Deed, Sale Deed, Khatauni)**	Ownership Proof (1)

2	**Situational Analysis on Contour Plan Map (for hilly areas)**	Geo-referenced Location Plan (2)
3	**Location Plan with site features**	Geo-referenced Location Plan(2)
4	**Township Growth Map**	Geo-referenced Location Plan(2)
5	**Site Plan with plot dimensions**	Geo-referenced Location Plan(2)
6	**Affidavit for advertisement and cost bearing**	Ownership Proof (1)
7	**Affidavit of Co-owners (NOC)**	Ownership Proof (1)

3– भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में भू उपयोग परिर्वतन (CLU) हेतु वांछित दो अभिलेख (1) **स्वामित्व प्रमाण पत्र** (Ownership Proof) में भूमि स्वामित्व से सम्बंधित सभी अभिलेखों एवं स्व–घोषणाओं (self declarations) को एकीकृत किया गया है, जबकि (2) **भौगोलिक–निर्देशांकयुक्त स्थान मानचित्र** (Geo-referenced Location Plan) में स्थल से संबंधित सभी विवरण, जैसे स्थल का विन्यास (layout), आकृति विश्लेषण (contour analysis), पहुँच मार्ग (road connectivity) एवं अन्य भौगोलिक विशेषताएँ सम्मिलित की गई हैं, जिनका विवरण तालिकानुसार निम्नवत् हैः–

S. No.	Document Name	Purpose	Key Contents / Details Required	Remarks
1	**Ownership Document**	To establish legal ownership and applicant's eligibility to seek CLU.	• Registered Sale/ Lease/ Gift/ Allotment Deed with Latest Khatauni. •Self-declaration/Affidavit of legal ownership, absence of disputes, and co-owners' consent.	Consolidates earlier multiple ownership-related proofs and affidavits into a single document.
2	**Geo-referenced Location Map/Site Plan**	To enable accurate identification, spatial verification, and integration with the GIS-based master plan.	• Google coordinates (latitude & longitude) of the plot – All four corners. • Geo-referenced map extract (Google Maps/Bhuvan) showing: Plot boundaries, dimensions, landmarks, roads, and scale. • Contour info (for hilly areas) •Certification by a licensed professional. (planner/architect/engineer). • Optional: KML/KMZ file for GIS verification.	Combines all site-related maps—Location Plan, Site Plan, Contour Map, Township Growth Map—into one geo-tagged plan.

4— उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक—तदैव।</u>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3—सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4—स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5—आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
6—आयुक्त, गढवाल मण्डल / कुमायूं मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
7—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8—संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
9—सचिव, मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण।
9—कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनुसचिव।